कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)

//ज्ञापन//

क./ 611 /वा./अविअ/2025 धमतरी दिनांक 14 /05/2025

रा.प्र.क. 202504130400028 अ–62
वर्ष 2024–25

प्रति,

01. वनमण्डलाधिकारी
    वन मंडल जिला धमतरी
02. श्री भागवत राम साहू
    निवासी ग्राम रांवा
    तहसील व जिला धमतरी

विषय :– वृक्ष कटाई हेतु अनुशंसा।

––––0––––

विषयान्तर्गत आवेदक द्वारा आवेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। वन परिक्षेत्र अधिकारी धमतरी एवं राजस्व निरीक्षक धमतरी का प्रतिवेदन प्रकरण में संलग्न है। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है :–

वन परिक्षेत्र अधिकारी धमतरी के प्रतिवेदन दिनांक 04.09.2023 के अनुसार आवेदक भागवत राम साहू पिता श्री मंगतू राम साहू, ग्राम रांवा, तहसील व जिला धमतरी द्वारा रोपित सागौन वृक्ष कटाई के संबंध में प्राप्त आवेदन का सहायक परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर धमतरी द्वारा मौका निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन में ग्राम रांवा स्थित भूमि खसरा नंबर 1139 में काटने योग्य कुल 21 नग सागौन वृक्ष मोटे एवं गीले को मार्किंग रिकार्ड किया गया। वृक्ष राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत होना प्रतिवेदित है।

राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 15.04.2025 में उल्लेखित है कि आवेदक भागवत राम साहू पिता श्री मंगतू राम साहू, ग्राम रांवा, तहसील व जिला धमतरी द्वारा ग्राम रांवा में स्वयं के नाम पर धारित भूमि खसरा नं. 1139 रकबा 0.59 हे. में से 0.20 हे. पर रोपित सागौन 200 नग वृक्षों को काटने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसकी जानकारी निम्नानुसार है:–

01. ग्राम रांवा स्थित भूमि (आवेदित भूमि) खसरा नं. 1139 रकबा 0.59 भूमि स्वामी भागवत पिता मंगतूराम जाति तेली वर्तमान अभिलेख में दर्ज है एवं काश्त कब्जा भी आवेदक का होना पाया गया।
02. आवेदित भूमि खसरा नं. 1139 रकबा 0.59 हे. में से 0.20 हे. पर वर्तमान में सभी प्रकार के कुल 200 नग सागौन वृक्ष रोपित होना स्थल पर पाया गया।

क्रमशः.......2

250

Tree

03. उल्लेखित 200 नग सागौन वृक्ष में से स्वस्थ एवं परिपक्व सागौन वृक्षों की संख्या 149 एवं शेष कमजोर वृक्षों की संख्या 51 नग होना पाया गया।
04. उल्लेखित कुल 200 नग सागौन वृक्षों में से आवेदक द्वारा स्वस्थ एवं परिपक्व 50 नग वृक्षों की कटाई हेतु अनुमति चाही गई।

वन परिक्षेत्र अधिकारी धमतरी एवं राजस्व निरीक्षक धमतरी के स्थल जांच प्रतिवेदन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि वर्तमान में खसरा नंबर 1139 रकबा 0.59 हे. में से 0.20 हे. भूमि पर ग्राम रांवा, प.ह.नं. 25, तहसील व जिला धमतरी में उक्त खसरा पर रोपित 200 नग सागौन प्रजाति में से वृक्ष कटाई नियम 2022 के तहत प्रति एकड़ 04 वृक्ष काटे जाने का प्रावधान है। आवेदक द्वारा आवेदित जमीन 0.59 हे. होने से 05 नग सागौन प्रजाति को कांटे जाने की अनुशंसा की जाती है। इसे **वृक्ष कटाई के नियम, 2022 के निमय 7 की कंडिका (4)** के अनुसार वन मण्डलाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक परिवहन सुनिश्चित करते हुए एवं निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित कराए तथा एवं शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा कराने का कष्ट करें। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग द्वारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किए जाएंगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से कलेक्टर को दी जायेगी।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी।

यह अनुशंसा एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

जारी दिनांक :– 14 /05/2025

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
धमतरी

पृ.क./ 612/वा./अविअ/2025

धमतरी, दिनांक 14 /05/2025

प्रतिलिपि :–

01. कलेक्टर जिला धमतरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. तहसीलदार धमतरी, वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।
03. वन परिक्षेत्र अधिकारी धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
धमतरी

Scanned with OKEN Scanner